राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 1375/2023

गजेंद्र सिंह शेखावत पुत्र श्री शंकर सिंह शेखावत, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी अजीत कॉलोनी रातानाडा जोधपुर वर्तमान निवासी 12 अकबर रोड नई दिल्ली-110001

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त महानिदेशक के माध्यम से एस ओ जी जयपुर राजस्थान
2. केंद्रीय जांच ब्यूरो, निदेशक सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली के माध्यम से
3. केंद्रीय रजिस्ट्रार बहु-राज्य, सहकारी समितियां सचिव कृषि और किसान मंत्रालय के माध्यम से कल्याण कृषि भवन नई दिल्ली -110001

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री वी.आर. बाजवा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आदित्य विक्रम सिंह, श्री अजीत शर्मा और श्री युवराज सिंह द्वारा सहायता प्राप्त।
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री दीपक चौधरी, जीए-सह-एएजी सुश्री सोनू मनावत श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पी.पी. श्री आर.डी. रस्तोगी, एएसजीआई बी.पी. बोहरा श्री मुकेश राजपुरोहित, डीएसजी श्री प्रकाश रायका श्री चिरंजी लाल मीना, अति. एस.पी. एसओजी, जयपुर

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

25/09/2024

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष एफआईआर संख्या 32/2019, 23.08.2019 को रद्द करने की मांग कर रहा है, जो पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 65 के तहत, पीएस स्पेशल पुलिस स्टेशन (एसओजी), जिला जयपुर में दर्ज की गई थी।

2. इस मामले की सुनवाई पहले मेरे द्वारा 17.09.2024 को की गई थी, जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: -

> "यह पता चला है कि जांच पूरी होने के बाद चार आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से किसी भी आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता को किसी भूमिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है या उसे आरोपी के रूप में पेश करने के लिए कहीं भी नाम नहीं दिया गया है।
>
> कुछ समय तक दलीलें सुनने के बाद, अदालत के इस सवाल पर कि क्या अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई पूरक आरोप-पत्र दाखिल करने का इरादा रखता है, विद्वान जी.ए. निर्देश प्राप्त करने के लिए एक छोटा स्थगन चाहता है।
>
> 25.09.2024 को पूरक कॉज़ लिस्ट में दिखाया जाए।
>
> अगली तारीख तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा।"

3. आज पुनः शुरू हुई सुनवाई में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री दीपक चौधरी ने सुश्री सोनू मनावत और श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित की सहायता से प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए दिनांक 24.09.2024 की तथ्यात्मक रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इसकी विषय-वस्तु को देखने के पश्चात, उन्हें यह कहने के निर्देश दिए गए हैं कि जांच के पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध नहीं किया जाना पाया गया है। रिपोर्ट को अभिलेख में लिया गया है।

4. इसके अतिरिक्त, उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई पूरक आरोप-पत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार पाए गए हैं।

5. उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात, मैं विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के कथन से सहमत हूँ, क्योंकि याचिकाकर्ता पर किसी भी अपराध का कोई दोष सिद्ध नहीं होता है।

6. परिणामस्वरूप, चूंकि याचिकाकर्ता अभियुक्त नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की उसकी प्रार्थना वास्तव में किसी भी निर्णय तक टिक नहीं पाती।

7. अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी मामले में, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193(3) के तहत मुख्य आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी है, बीएनएसएस की धारा 193(9) के मद्देनजर विद्वान ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है। त्वरित संदर्भ के लिए, बीएनएसएस की धारा 193 का प्रासंगिक भाग, इसके उप-खंड 9 पर जोर देते हुए, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "धारा 193: जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
>
> (9) इस धारा में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो उपधारा (3) के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच को रोकता हो और जहां ऐसी जांच पर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है, वह मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें उस रूप में भेजेगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है; और उप-धारा (3) से (8) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (3) के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं:
>
> बशर्ते कि मुकदमे के दौरान आगे की जांच मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय की अनुमति से की जा सकती है और नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसे न्यायालय की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है।
>
> (जोर दिया गया)

8. तदनुसार, इस याचिका का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।